



सामाजिक सुरक्षा संगठन  
Social Security Organisation

कोयला खान भविष्य निधि संगठन  
COAL MINES PROVIDENT FUND ORGANISATION  
(भारत सरकार कोयला मंत्रालय का एक सांविधिक निकाय)  
(A Statutory Organization under Ministry of Coal, Government of India)

आयुक्त का कार्यालय  
OFFICE OF THE COMMISSIONER

पुलिस लाईन, / POLICE LINE,  
धनबाद / DHANBAD  
पिन / PIN-826014  
(झारखण्ड)/(JHARKHAND)  
फोन नं०/Phone No.- 0326-220211  
email : commissioner@cmpfo.gov.  
Website:- www.cmpfo.gov.in

पत्रांक: सीएमपीएफओ/मु०/आरटीआई/सीपीआईओ/एनुअल रिटर्न/ 647

दिनांक 09 फरवरी, 2024

कार्यालय टिप्पणी

सूचना अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-4 (i)(b) के तहत विभिन्न बिन्दुओं से संबन्धित विषयों पर एक विस्तृत प्रतिवेदन सीपी अनुभाग से एकत्रित कर सूचना अधिकार आयोग के वेबसाइट पर प्रोएक्टिव डिस्कलोजर के रूप में अपलोड करना अपेक्षित है।

अतः मुख्यालय के विभिन्न अनुभागों से प्राप्त प्रतिवेदन की प्रति एतदद्वारा प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि कोयला खान भविष्य निधि संगठन के वेबसाइट पर यथाशीघ्र अपलोड कर सूचना का अधिकार अनुभाग को तदनुसार सूचित किया जाय।

संलग्नक : (6 पृष्ठ)

(सुभाष कुमार पंडित)

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी/सहायक आयुक्त

सेवा में,

श्री अजय कुमार सिन्हा  
सहायक आयुक्त,  
ईडीपी अनुभाग, (IT)  
कोला खान भविष्य निधि, मुख्यालय,  
धनबाद।

(IT)

09/02/2024





सामाजिक सुरक्षा संगठन  
Social Security  
Organization

## कोयला खान भविष्य निधि संगठन

COAL MINES PROVIDENT FUND ORGANISATION

(भारत सरकार कोयला मंत्रालय का एक सांविधिक निकाय)

(A Statutory Organization under Ministry of Coal, Government of India)

### आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER

पुलिस लाईन @POLICE LINE.

धनबाद @DHANBAD

पिन /PIN-826014

(झारखण्ड) (JHARKHAND)

फोन नं०/Phone No.- 0326-2202114

email : commissioner@cmpfo.gov.in

Website :- www.cmpfo.gov.in

सीपीएफ/सीपी/विज/665

दिनांक : 06 नवम्बर, 2023

### कार्यालय टिप्पणी

सन्दर्भ :- सीएमपीएफओ /आरटीआई /सीपीआईओ /एनुअल रिटर्न /499 दिनांक : 27 अक्टूबर, 2023

उपयुक्त संदर्भित पत्र द्वारा केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा मांगी गई जानकारी में समन्वय एव निति संभाग से सम्बंधित मामलों का जवाब इस प्रकार है :-

चैप्टर 1 :- कोयला खान भविष्य निधि संगठन एक सामाजिक सुरक्षा संगठन है, जिसका गठन केन्द्रीय कानून - कोयला खदान भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्या 46) के तहत किया गया है। यह एक स्वायत्त वैधानिक संगठन है, जिसका मुख्यालय धनबाद (झारखण्ड) में है और कोयला उत्पादक राज्यों में 20 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो कोयला उद्योगों के कर्मचारियों के सेवाकाल एवं सेवानिवृत्त जरूरतों को पूरा करते हैं।

सीएमपीएफओ को कोयला खान भविष्य निधि और विविध अधिनियम, 1948 और उसके तहत बनार्यी गई निम्न योजनाओं के प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी गई है :-

- कोयला खान भविष्य निधि योजना (सीएमपीएफ), 1948
- कोयला खान पेंशन योजना (सीएमपीएस), 1998
- कोयला खान जमा संबद्ध बीमा योजना, 1976

चैप्टर 8:- बोर्ड का अर्थ कोयला खान भविष्य निधि विविध प्रावधान अधिनियम 1948 (1948 का अधिनियम संख्या 45) की धारा 3-ए के तहत गठित न्यासी बोर्ड है। आधिकारिक राजपत्र में न्यासी बोर्ड के सदस्यों की नवीनतम अधिसूचना की प्रति अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न है

बोर्ड की उप-समिति "- बोर्ड अपने कार्यों के निर्वहन में सहायता का गठन कर सकता है जिसमें उतनी संख्या में इस्टी शामिल होंगे जितने बोर्ड प्रत्येक मामले में आवश्यक समझे।

शंकरा नन्द प्रशाद  
06/11/2023  
(शंकरा नन्द प्रशाद)

सहायक आयुक्त

सेवा में,

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी/सहायक आयुक्त,  
मुख्यालय धनबाद



रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15092023-248761  
CG-DL-E-15092023-248761

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3905]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 14, 2023/भाद्र 23, 1945

No. 3905]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 14, 2023/BHADRA 23, 1945

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 2023

का.आ. 4067(अ).—केंद्रीय सरकार, कोयला खान भविष्य निधि स्कीम, 1948 के पैरा 4 के साथ पठित कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 (1948 का 46) की धारा 3क की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2821(अ.), तारीख 20 अगस्त, 2020 में उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने की कोश किया गया है, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए न्यासी बोर्ड में निम्नलिखित व्यक्तियों को नियुक्त करती है, अर्थात् :-

क. धारा 3क की उप धारा (1) के खंड (क) के अधीन नियुक्ति:

1. सचिव

भारत सरकार,

कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली - 110001

- अध्यक्ष

ख. धारा 3क की उप धारा (1) के खंड (ख) के अधीन नियुक्ति:-

2. आयुक्त

कोयला खान भविष्य निधि संगठन,

धनबाद, झारखंड - 826014

- सदस्य, पदेन



**ग. धारा 3क की उप धारा (1) के खंड (ग) के अधीन नियुक्ति:-**

3. भारत सरकार के अपर सचिव,  
(कोयला खान भविष्य निधि संगठन मामलों के प्रभारी)  
कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली -110001 - सदस्य
4. संयुक्त सचिव-सह-वित्तीय सलाहकार  
कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली - 110001 - सदस्य
5. केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त या उसके प्रतिनिधि,  
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) - सदस्य

**घ. धारा 3क की उप धारा (1) के खंड (घ) के अधीन नियुक्ति:-**

6. अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सचिव  
ओडिशा राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट रैंक अधिकारी - सदस्य
7. अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सचिव  
छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट रैंक अधिकारी - सदस्य
8. अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सचिव  
झारखंड राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट रैंक अधिकारी - सदस्य
9. अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सचिव  
पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट रैंक अधिकारी - सदस्य
10. अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सचिव  
तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट रैंक अधिकारी - सदस्य
11. अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सचिव  
महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट रैंक अधिकारी - सदस्य

**ङ. धारा 3क की उप धारा (1) के खंड (ङ) के अधीन नियुक्ति :-**

12. अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक,  
कोल इंडिया लिमिटेड, कोयला भवन,  
परिसर संख्या-04 एमएआर,  
प्लॉट नं-एएफ-3, एकशन एरिया-1ए, न्यूटाउन,  
राजारहाट, कोलकाता -700156  
(पश्चिम बंगाल) - सदस्य
13. अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक,  
सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड,  
कोठागुडम, भद्राद्री कोठागुडम जिला तेलंगाना-507101 - सदस्य
14. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक,  
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड,  
डाकघर जागृति विहार, बुर्ला, जिला-संबलपुर-768020 (ओडिशा) - सदस्य
15. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक,  
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड,  
सीपन रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 60,  
जिला-बिलासपुर (छत्तीसगढ़)-495006 - सदस्य



16. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक,  
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड,  
दरभंगा हाउस, कचहरी रोड,  
रांची-834029 (झारखंड) - सदस्य
17. भारत सरकार के संयुक्त सचिव,  
(कोयला खान भविष्य निधि संगठन मामलों के प्रभारी),  
कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली -110001 - सदस्य
- च. धारा 3क की उप धारा (1) के खंड (च) के अधीन नियुक्ति :-**
18. श्री रामेन्द्र कुमार,  
अध्यक्ष, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस और महासचिव,  
भारतीय खान श्रमिक संघ,  
डाकघर- भुरकुंडा, जिला हजारीबाग, झारखंड-825301 - सदस्य
19. श्री राकेश कुमार,  
अध्यक्ष  
कोयला मजदूर कांग्रेस (एचएमएस) प्रीमियर नर्सिंग होम के पास,  
डाकघर-गोपालपुर, आसनसोल-713304,  
जिला- बर्दवान (पश्चिम बंगाल) - सदस्य
20. श्री डी डी रामानंदन,  
राष्ट्रीय सचिव, भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र,  
महासचिव, अखिल भारतीय कोयला श्रमिक संघ,  
4मी बिनाँय शांति प्रीति अपार्टमेंट,  
जवाहर नगर डाकघर के सामने,  
कांके रोड, रांची, झारखंड-834008 - सदस्य
21. श्री के. लक्ष्मा रेड्डी  
राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, भारतीय मजदूर संघ,  
भारतीय मजदूर संघ राज्य कार्यालय, टीआरटी-141, जवाहरनगर,  
हैदराबाद-500020 - सदस्य
22. श्री आशीष कृष्ण मूर्ति, कोषाध्यक्ष, अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ,  
फ्लैट नंबर 202, अरिंज हाइट अपार्टमेंट,  
एस्सार पेट्रोल पंप के पीछे, लाहिडी कृपा सोसाइटी,  
खामला, नागपुर-440024 - सदस्य
23. रिक्त - सदस्य

[फा.सं. 20021/2/2023-सीएमपीएफ]

विस्मिता तेज, अपर सचिव

## MINISTRY OF COAL

## NOTIFICATION

New Delhi, the 13th September, 2023

**S.O. 4067(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1948 (46 of 1948) read with paragraph 4 of the Coal Mines Provident Fund Scheme, 1948, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Coal number S.O. 2821(E), dated the 20th August, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), except as respects things done or omitted to be done before such supersession,



the Central Government hereby appoints the following persons to the Board of Trustees for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely :-

- A. Appointment under clause (a) of sub-section (1) of section 3A:-**
1. Secretary - Chairman  
Government of India,  
Ministry of Coal, New Delhi – 110001
- B. Appointment under clause (b) of sub-section (1) of section 3A:-**
2. Commissioner - Member, ex officio  
Coal Mines Provident Fund Organisation,  
Dhanbad, Jharkhand – 826014
- C. Appointment under clause (c) of sub-section (1) of section 3A:-**
3. Additional Secretary to the Government of India, - Member  
(in-charge of Coal Mines Provident Fund Organisation affairs)  
Ministry of Coal, New Delhi -110001
4. Joint Secretary-cum-Financial Adviser - Member  
Ministry of Coal, New Delhi – 110001
5. Central Provident Fund Commissioner or - Member  
his or her representative, Employees Provident  
Fund Organization (EPFO)
- D. Appointment under clause (d) of sub-section (1) of section 3A:-**
6. Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary - Member  
rank officer nominated by the State Government of Odisha
7. Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary - Member  
rank officer nominated by the State Government of Chattisgarh
8. Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary - Member  
rank officer nominated by the State Government of Jharkhand
9. Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary - Member  
rank officer nominated by State Government of West Bengal
10. Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary - Member  
rank officer nominated by the State Government of Telangana
11. Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary - Member  
rank officer nominated by the State Government of Maharashtra
- E. Appointment under clause (e) of sub-section (1) of section 3A:-**
12. Chairman and Managing Director, - Member  
Coal India Limited, Coal Bhawan,  
Premise No-04 MAR, Plot No-AF-III, Action Area-1A,  
Newtown, Rajarhat, Kolkata-700156 ( West Bengal)
13. Chairman and Managing Director, - Member  
The Singareni Collieries Company Limited,  
Kothagudem, Bhadradi Kothagudem District Telangana-507101
14. Chairman-cum-Managing Director, - Member  
Mahanadi Coalfields Limited,  
P.O.Jagriti Vihar, Burla, District-Sambalpur-768020 (Odisha )
15. Chairman-cum-Managing Director, - Member  
South Eastern Coalfields Limited,  
Seepat Road, Post Box No.60,  
District-Bilaspur (Chhattisgarh)-495006
16. Chairman-cum-Managing Director, - Member  
Central Coalfields Limited,  
Darbhanga House, Kutchery.Road, Ranchi-834029 (Jharkhand)



17. Joint Secretary to the Government of India,  
(in-charge of Coal Mines Provident Fund Organisation affairs),  
Ministry of Coal, New Delhi -110001 - Member

**3. Appointment under clause (f) of sub-section (1) of section 3A:-**

18. Shri Ramandra Kumar,  
President, All India Trade Union Congress and General Secretary,  
Indian Mine Workers Federations,  
P.O.Bhurkunda, Distt.Hazaribagh,Jharkhand-825301 - Member
19. Shri Rakesh Kumar,  
President,  
Koyala Mazdoor Congress(HMS), Near Premier Nursing Home,  
P.O. Gopalpur, Asansol-713304,Distt.Burdwan (West Bengal) - Member
20. Shri D D Ramanandan,  
National Secretary Centre of Indian Trade Unions,  
General Secretary, All India Coal Workers' Federation,  
4C Binoy Shanti Priti Appt.,  
Opp Jawahar Nagar POKanke Road, Ranchi, Jharkhand-834008 - Member
21. Shri K.Lakshma Reddy  
National Executive Member, Bharatiya Mazdoor Sangh,  
Bharatiya Mazdoor Sangh State  
Office,TRT-141,, Jawaharnagar,  
Hyderabad-500020 - Member
22. Shri Ashish Krishna Murti,  
Treasurer, Akhil Bharatiya Khadan Mazdoor Sangh,  
Flat No.202, Orange Height Apartment,  
Behind ESSAR Petrol Pump, Lahiri Krupa Society,  
Khamla, Nagpur-440024 - Member
23. Vacant - Member.

[F. No. 20021/2/2023-CMPF]

VISMITA TEJ, Addl. Secy.